**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**23.03.2018 के**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3324 का उत्तर**

**रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए बजट में धनराशि का आवंटन**

**3324. श्री सी॰ पी॰ नारायणनः**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) रेल यात्रियों की सुरक्षा में सुधार के लिए वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के बजट में

कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) इसमें से कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) इन वर्षों के दौरान दुर्घटनाओं में कितने यात्रियों तथा रेलवे के कर्मचारियों की मृत्यु हुई; और

(घ) क्या रेलवे ने पीडि़तों/उनके परिवारों को कोई मुआवजा प्रदान किया है, यदि हां, तो प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)**

1. से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*\*

रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए बजट में धनराशि का आवंटन के संबंध में दिनांक 23.03.2018 को राज्‍य सभा में श्री सी॰ पी॰ नारायणन के अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3324 के भाग (क) से (घ) के उत्‍तर से संबंधित **विवरण।**

(क) और (ख): वर्ष 2016-17 तथा चालू वर्ष (2017-18) के दौरान संरक्षा संबंधी कार्यकलापों के लिए निर्धारित किया गया परिव्यय तथा किया गया खर्च का ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

(करोड़ रु. में)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | संशोधित अनुमान | वास्तविक व्यय |
| 2016-17 | 63062 | 53456 |
| 2017-18 | 68725 | 51973 |
| (फरवरी, 2018 के अंत तक) |

(ग): (i) वर्ष 2016-17 के दौरान, 104 परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं में कुल 195 यात्री, 3 रेल कर्मचारी तथा 40 अन्य लोगों ने अपनी जानें गवाईं।

(ii) 2017-18 (1 अप्रैल, 2017 से 15 मार्च, 2018 तक) के दौरान, 71 परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं में कुल 27 यात्री, 3 रेलवे कर्मचारी तथा 27 अन्य लोगों ने अपनी जानें गवाईं।

(घ): रेल यात्रियों/उनके परिवारों को गाड़ी दुर्घटनाओं में क्षतिपूर्ति के रूप में वर्ष 2016-17 में 303.16 लाख रु. और 2017-18 (फरवरी, 2018 तक) में 185.80 लाख रु. की राशि का भुगतान किया गया था। यह जरूरी नहीं है कि किसी वर्ष भुगतान की गई राशि केवल उसी वर्ष में हुई दुर्घटना/हताहत के मामलों से सम्बद्ध हो, यह राशि उस वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों पर निर्भर करती है, चाहे दुर्घटना किसी भी वर्ष में हुई हो।

\*\*\*\*\*